फर्द अहकाम

मांगी देवी बनाम गोपाल [illegible]

नाम न्यायालय

केस संख्या 52/2021

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	28/3/22	पेशकार / आर्डरसर दौर / ... अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 12/5/22 को पेश हो.
	12/5/22	प० प्रार्थीगण उप०। अप्रार्थी संख्या 2 ता 5, 9, 17, 22, 26 ता 35 की तामील रजि० ए.डी० से करवाई गयी। एक माह से अधिक का समय हो चुका है अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण का दावा स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। [illegible] उपखण्ड अधिकारी चौमूं जिला जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:13:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिक[illegible]
1. 52/2021
1. श्रीमती मांगी दे[illegible]
जिला जय[illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर)
मु.न. 52/2021

उनवान

1. श्रीमती मांगी देवी पत्नी श्री प्रभूदयाल, जाति जाट, निवासी ग्राम चीथवाडी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

---प्रार्थीया

बनाम

1. गोपाल पुत्र प्रभूदयाल,
2. मदन पुत्र प्रभूदयाल,
3. सन्तोष पुत्र प्रभूदयाल,
4. सीताराम पुत्र प्रभूदयाल,
5. हरिनारायण पुत्र प्रभूदयाल,
6. जगदीश प्रसाद पुत्र रामेश्वर,
7. बजरंग पुत्र हनुमान,
8. बलराम पुत्र मोहन,
9. मगन पुत्र रामेश्वर,
10. विष्णु पुत्र मोहन,
11. सोहन पुत्र हनुमान,
12. हरिद्वार पुत्र मोहन,

    समस्त जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम चीथवाडी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

13. कजोड पुत्र सुरजा जाट,
14. नारायण पुत्र सुरजा जाट,
15. मोटा देवी पत्नी सुरजा जाट,
16. राजू पुत्र सुरजा जाट,

    समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम चीथवाडी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

17. लाडा देवी पत्नी कालूराम जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी बडपीपली, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
18. अरविन्द पुत्र प्रहलाद मीणा,
19. अशोक पुत्र प्रहलाद मीणा,
20. गणपत पुत्र बोदू मीणा,
21. दुर्गा देवी पत्नी प्रहलाद मीणा,
22. बोदू पुत्र लादू मीणा,
23. रामचन्द्र पुत्र रणजीता मीणा,
24. शीला पुत्री प्रहलाद मीणा,
25. सत्यनारायण पुत्र प्रहलाद मीणा,

    समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम चीथवाडी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

26. ओमप्रकाश पुत्र हनुमान,
27. पवन पुत्र हनुमान,

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:13:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर

28. बंशीधर पुत्र हनुमान,

29. भूरी देवी पत्नी हनुमान,

30. मोहन लाल पुत्र श्रवण लाल,

31. लालचन्द पुत्र हनुमान,

32. शंकर पुत्र हनुमान,

33. शान्ति देवी पत्नी श्रवण लाल,

34. सोहन लाल पुत्र श्रवण लाल,

समस्त जाति वागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम चीथवाडी, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

35. राजस्थान राज्य जरिये लेण्ड होल्डर, तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

--अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, एल0 आर0 एक्ट

निर्णय दिनांक–12.05.2022

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि वाके ग्राम चीथवाडी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में प्रार्थीया की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 2814, 2816, 2819, 2820, 2825, कुल किता 5 का कुल रकबा 2.19 हैक्टेयर स्थित हैं, उक्त भूमियां ही प्रार्थना पत्र में भूमि विवादग्रस्त है। जिनको प्रार्थना पत्र की अग्रिम मदों में भूमि विवादग्रस्त कहा गया हैं।

प्रार्थीया ने उक्त वर्णित भूमि विवादग्रस्त का सीमाज्ञान तहसीलदार महोदय चौमूं के आदेश कमांक/एल.आर./2021/196–63 दिनांक 01.06.2021 की पालना में गिरदावर हल्का व पटवारी हल्का चीथवाडी द्वारा मौके पर जाकर दिनांक 09.06.2021 को सीमाज्ञान किया गया था, जिस सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीया की भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित हैं।

प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि की फसल की आवारा जानवरों से सुरक्षा हेतु प्रार्थीया सीमाज्ञान करवाया हैं, मुताबिक सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी प्रार्थीया करवाना चाहती हैं। किन्तु अप्रार्थीगण प्रार्थीया को सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी नहीं करने दे रहे हैं। इसलिये श्रीमान् जी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ हैं।

प्रार्थीया अपनी खातेदारी भूमियों का सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 09–06–2021 को पटवारी हल्का की सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर अपनी खातेदारी भूमियों की पत्थरगढी माननीय न्यायालय से करवायी जाकर उक्त सीमा पर तारबाउण्डी करवाने की अधिकारी हैं। अगर उक्त सीमाज्ञान अनुसार प्रार्थीया की भूमियों की पत्थरगढी नहीं करवायी गई तो प्रार्थीया के खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात होगा तथा प्रार्थीया की भूमि [illegible] खातेदार जबरन अतिक्रमण कर लेगें। जिनसे अनावश्यक मुकदमें बाजी बढ़ेगी।

अतः प्रार्थना पत्र मय शप[illegible] प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित भूमि विवादग्रस्त वाके ग्राम ची[illegible]डी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में प्रार्थीया की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 2814, 2816, 2819, 2820, 2825, कुल किता 5 का कुल रकबा 2.19 हैक्टेयर के बाबत अप्रार्थी संख्या 35 व उसके अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा दिनांक 09.06.2021 की सीमाज्ञान रिपोर्ट अनुसार पत्थरगढी जरिये पुलिस इमदाद के करवायी जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:13:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण बावजुद तलबी अनुपस्थित है अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही की गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण की सीधी बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया आवेदित आराजी की रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीया द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के आदेश से दिनांक 09.06.2021 को पटवारी हल्का द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 09.06.2021 के अनुसार पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **12.05.2021** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सीमा खेतान
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमू
(जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:13:27 IST
Reason: SelfAttested